न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–02/2019–20

राजेश्वरी देवी वगैरह बनाम राज्य एवं लाल बाबु सिंह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
15/2/2020	**आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदक की ओर से भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 02/2015–16 में दिनांक–23.12.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया है। जिसे पंजीकृत के बिन्दु पर सुनकर वाद प्रतिग्रहित कर विपक्षियों को सूचना निर्गत किया गया। साथ ही निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग की गई। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है :– **प्रथम पक्ष (आवेदकगण)** 1. राजेश्वरी देवी, पति–महेश सिंह, 2. हरि ओम सिंह, पिता–महेश सिंह, दोनों का पता ग्राम–खाजपुरा, थाना– हवाई अड्डा, जिला–पटना। 3. रीता सिंह, पति–पंकज कुमार सिंह, पता–रामनगरी सेक्टर–3, आशियाना नगर, पटना 4. रीता बाबुल, पति–सचिन बाबुल, ग्राम–गोनावां, थाना–हरनौत, जिला–नालन्दा। वर्तमान पता–रामनगरी सेक्टर–3, आशियाना नगर, पटना 5. रीता कुमारी, पिता–बिरेन्द्र कुमार सिंह, 6. संजय कुमार, पिता–अवध किशोर प्रसाद, दोनों का पता–101 सी, आशियाना नगर, फेज–1, थाना–राजीव नगर, जिला–पटना 7. अजय कुमार, पिता–राम देवन सिंह, ग्राम–बहपुरा, थाना–बिहटा, जिला–पटना, वर्तमान पता–रामनगरी सेक्टर III, बी0एन0 कॉम्पलेक्स, आशियाना नगर, थाना–राजीव नगर, जिला–पटना। 8. श्रीमती लगन देवी, पति दुधनाथ उपाध्याय, ग्राम–मुहादी, थाना–बरहारा, जिला–भोजपुर, 9. रेणु सिंह, पति–चन्द्रशेन प्रसाद सिंह, पता–4सी0, मंशु अपार्टमेंट, कदमकुंआ, थाना–कदमकुंआ, जिला–पटना **द्वितीय पक्ष (विपक्षी)** 1. बिहार सरकार 2. अंचल अधिकारी, पटना सदर, जिला–पटना। 3. भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर 4. लाल बाबु सिंह, पिता–स्व0 रामदेव सिंह, ग्राम–खाजपुरा, थाना–हवाई अड्डा, जिला–पटना, वर्तमान पता ग्राम–शेखपुरा,	

थाना–रामकृष्ण नगर, जिला–पटना।

विवादित भूखण्ड का विवरण

मौजा	तौजी सं0	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा	किस्म जमीन	वर्तमान स्वरूप
1	2	3	4	5	6	7	8
खाजपुरा	5588	11	306	235	1.00 ए0	धनहर	परती अंश भाग परती एवं मकान मय

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध एवं दाखिल कागजातों एवं लिखित बहस का परिशीलन किया।

पुनरीक्षणकर्तागण का संक्षेप में कथन है कि :–

विवादित भूखण्ड के खतियानी रैयत सिरपाल महतो एवं राम खेलावन महतो, दोनों पिता–रामदास महतो थे। खतियानी रैयत नावल्द मृत हो गये। तब इनकी सारी सम्पति बाढु महतो, पिता–खुबा महतो में निहित हो गया, खुबा महतो और खतियानी रैयत के पिता राम दास महतो दोनों आपस में सहोदर भाई थे। रामदास महतो एवं खुबा महतो, दोनों के पिता–रंजीत महतो थे। बाढु महतो के तीन पुत्र क्रमशः अक्षैवर सिंह, हेमलाल सिंह और देवशरण सिंह थे। रामखेलावन एवं सिरपाल महतो के सारे सम्पति पर बाढु महतो स्वत्व एवं शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में रहे है। बाढु महतो के मृत्यु के उपरान्त सारे सम्पति पर बाढु महतो के तीनों पुत्र अपने खानगी बंटवारा में दखल–कब्जा में कायम रहकर, सरकार को राजस्व कटाते रहे हैं।

खतियानी रैयतों के वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :–

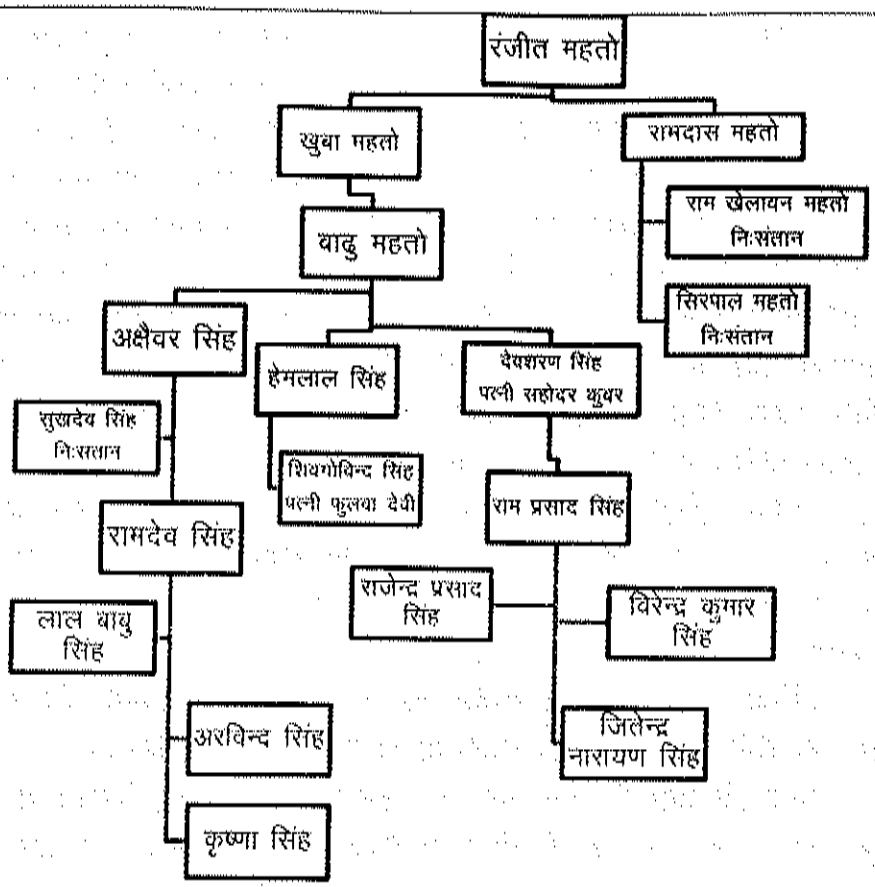

खतियानी रैयत के वंशज हेमलाल सिंह ने 33.333 डिसमील जमीन वसीका संख्या--6492 द्वारा दिनांक 14.07.1943 को शेख मोहम्मद मोईद वल्द शेख अब्दुल हमीद के नाम बिक्री कर दिया, शेख मोहम्मद मोईद की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी मोसमात् बीबी मघपुरा ने वसीका संख्या--3692 द्वारा दिनांक 21.04.1965 को बख्शीशनामा द्वारा मोसमात् बीबी हसीना को बख्शीश कर दिया। मोसमात् बीबी हसीना ने वसीका संख्या-- 12178 द्वारा दिनांक 23.12.1967 को राजपति सिंह एवं ओछाही सिंह वल्दान उदित नारायण सिंह को बिक्री कर दिया।

खतियानी रैयत के वंशज अछैवर सिंह ने 33.1/3 डिसमील जमीन वसीका संख्या--412 द्वारा दिनांक 21.01.1944 को शेख मोहम्मद मोईद पिता शेख अब्दुल हमीद के साथ बिक्री कर दिया। शेख मोहम्मद मोईद अपनी पत्नी बीबी मघपुरा को छोड़कर स्वर्गवास कर गये और बाद में मोसमात् बीबी मघपुरा जौजे शेख मोहम्मद मोईद ने वसीका संख्या--12179 द्वारा दिनांक 23.12.1967 को राजपति सिंह एवं ओछाही सिंह वल्दान उदित नारायण सिंह के नाम बिक्री कर दिया।

खतियानी रैयत के वंशज देवशरण सिंह थे जिनके हिस्से 33.333 डिसमील जमीन थी और देवशरण सिंह अपने पुत्र राम प्रसाद सिंह एवं पत्नी सहोदर कुंवर को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। अन्तराल में राम प्रसाद सिंह एवं सहोदर कुंवर वसीका संख्या--7617 दिनांक 04.07.1970 द्वारा राजपति सिंह एवं ओछाही सिंह के नाम बिक्री कर दिया।

इस तरह राजपति सिंह एवं ओछाही सिंह प्लौट संख्या-- 235 का 99.99999 डिसमील अर्थात् एक एकड़ भूमि का निर्विवाद रूप से स्वामी के

रूप में दखल कब्जे में रहते हुए सरकार को लगान भुगतान करने लगे।

ओछाही सिंह निःसंतान स्वर्गवास कर गये फलस्वरूप प्लौट संख्या–235 का कुल एक एकड़ जमीन राजपति सिंह के स्वामित्व में चली गई। राजपति सिंह अपने छह पुत्र यथा रामचरण सिंह, रामवरन सिंह, तेजनारायण सिंह, गणेश सिंह, महेश सिंह एवं जयनारायण सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। इन छहों भाईयों एवं अन्य पट्टिदारों में आपसी खानगी बंटवारा हुआ, जिससे प्लौट संख्या– 235 में महेश सिंह की पत्नी राजेश्वरी देवी को 49 डिसमील जमीन हिस्से में मिली और 33 डिसमील जमीन महेश सिंह के पुत्र हरिओम सिंह के हिस्से में मिली शेष 18 डिसमील जमीन रामवरण सिंह के हिस्से में मिली।

रामवरण सिंह ने एराजी– 1 कट्ठा 3 धुर 12 धुरकी जमीन अजय सिंह की पत्नी शोभा कुमारी के नाम वसीका संख्या–281 दिनांक 09.12.1987 को बिक्री कर दिया शेष जमीन दिनेश सिंह के नाम बिक्री कर दिया, जो लोग रसीद कटा रहे है।

हरिओम सिंह जमाबंदी संख्या–492 पर रसीद कटाने लगे और अपने हिस्से की सभी जमीन विभिन्न व्यक्तियों के नाम बिक्री कर दिया।

राजेश्वरी देवी के नाम कुल–49 डिसमील जमीन थी, जिसमें से वर्ष 2000, 2002 एवं 2007 ई. में भिन्न व्यक्तियों को बिक्री करने के उपरान्त सरकार के खजाने में मालगुजारी जमा किया गया, जिसका अंचल से लगान रसीद संख्या–752685 दिनांक 27.10.2010 निर्गत है। पुनः राजेश्वरी देवी ने प्लौट संख्या–235 में वर्ष 2010 में संजय कुमार पिता अवध किशोर प्रसाद को निबंधित केवाला संख्या– 27336 दिनांक 18.11.2010 के द्वारा रकवा–1 कट्ठा 10 धुर जमीन बिक्री किया, जिसका अंचल से दाखिल खारिज किया गया एवं संजय कुमार के नाम से जमाबंदी संख्या– 3453 कायम है एवं मालगुजारी रसीद कटते आ रहा है एवं उनके दखल कब्जा में है। पुनः दिनांक–18.11.2010 को ही रीता कुमारी पिता बिरेन्द्र कुमार सिंह को निबंधित केवाला संख्या– 27337 दिनांक 18.11.2010 के द्वारा राजेश्वरी देवी ने रकवा–1 कट्ठा 10 धुर जमीन बिक्री किया, जिसका अंचल से दाखिल खारिज किया गया एवं रीता कुमारी के नाम से जमाबंदी संख्या–3452 कायम है एवं मालगुजारी रसीद कटते आ रहा है एवं दखल कब्जा में है।

तत्पश्चात् राजेश्वरी देवी को शेष बचे जमीन 23.25 डिसमील का मालगुजारी सरकार के खजाने में जमा कर अंचल से रसीद संख्या–00680748 दिनांक 22.01.2016 निर्गत है। जमाबंदी संख्या–490 पर वर्ष 2015–16 तक रसीद कटी है।

क्र.सं.	नाम	रकबा	जमाबंदी सं.
1.	राजेश्वरी देवी	23.25 डी०	490
2.	रामवरण सिंह	18 डी०	478
3.	रीता सिंह	6 डी०	2735क
4.	रीता बाबूल	6 डी०	2871क

5.	हरिओम सिंह	30 डी०	492
6.	शोभा देवी	1 कट्ठा 8 धुर 12 धुरकी	3377
7.	रीता कुमारी	1 कट्ठा 10 धुर	3452
8.	संजय कुमार	1 कट्ठा 10 धुर	3453
9.	लगन देवी	2 कट्ठा 10 धुर	3731

अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित है कि जमीन क्रम संख्या– 1 से 9 तक के वर्णित नामों के दखल कब्जे में है और लगान रसीद उनके नाम कट रही है।

इस तरह वर्तमान में कुल 1 एकड़ जमीन में से 21 कट्ठा जमीन में पक्का मकान लगभग 20–30 वर्षो से भी अधिक समय से बना हुआ है। शेष परती 11 कट्ठा जमीन आवेदक द्वारा एक चहारदीवारी से घेरा हुआ परती जमीन है, जिसमें एक बड़ा लोहा का गेट लगाकर ताला लगा हुआ है। जो पुनरीक्षणकर्ता के दखल–कब्जा में है।

प्रत्युत्तर में विपक्षीगण का कहना है कि :–

विपक्षी लाल बाबु सिंह दाखिल वंशावली के आधार पर अपने को खतियानी रैयत का वंशज होने का दावा करते है। जिसके आधार पर खतियानी रैयत के सम्पत्तियों पर दावा करते है। जिसके लिए लाल बाबु सिंह ने विविध वाद सं0–18/1991–92 दाखिल कर रसीद निर्गत कराने का आवेदन दिया।

वाद संचालन के दौरान खतियानी रैयत के वंशज श्रीमती फुलवा देवी, पति शिवगोविन्द सिंह और फुलवा देवी के पति के अन्य भाई (1) महेश सिंह (2) रमेश सिंह दोनों पिता–शिव गोविन्द सिंह, निवासी ग्राम–खाजपुरा, खतियान दाखिल कर वंशावली के आधार पर कुल 11 (ग्यारह) खेसरा जिसमें खेसरा सं0 235 रकबा 1 एकड़ सम्मिलित है के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया। जिसका दाखिल खारिज वाद सं0 53/03 वर्ष 2004–05 है। वाद की कार्यवाही के दौरान अंचलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया कि विभिन्न खेसरों में करीब 51 व्यक्तियों के नाम से जमाबंदी कायम है और आवेदनकर्ता फुलवा देवी या खतियानी रैयत के किसी भी वंशज का दाखिल खारिज नहीं है। जिसके आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 53/03 को अंचलाधिकारी, पटना सदर ने दिनांक–19.072005 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं किया गया। दस वर्षो के बाद भूमि सुधार, पटना सदर के न्यायायल में अपील दाखिल किया गया।

लालबाबु सिंह के आवेदन पत्र पर दिनांक 25.02.2016 को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पटना सदर ने आदेश फलक पर उल्लेख किया है कि आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, पटना सदर द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में सुनवाई हेतु अधिग्रहित किया जाता है, आवेदन में अंकित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है, जिसका दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–2/2015–16 अंकित किया गया :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
खाजपुरा	11	306	219	1.18 ए0
			235	1.00 एकड़

वस्तुतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पटना सदर ने अपर समाहर्त्ता, पटना को सम्बोधित माननीय राजस्व मंत्री श्री नरेन्द्र नारायण यादव के आवेदन पत्र पर पृष्ठांकन जो गै0स0प्रे0सं0–257 (आ0) दिनांक 09.07.2015 प्राप्त है के साथ संलग्न अंचल अधिकारी, पटना सदर के न्यायालय का विविध कांड संख्या– 18/91–92 में दिनांक 27.10.1991 को पारित आदेश जो लाल बाबू सिंह द्वारा अभिप्रमाणित प्रति दिनांक 04.06.1992 को प्राप्त की गई है, की छाया प्रति संलग्न रहने के आधार पर की गई है जो प्रारंभ में विविध वाद संख्या–2/15–16 दर्ज किया गया था, जिसे बाद में विविध शब्द घेर कर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या– 02/15–16 किया गया। इसमें लगभग 24–25 वर्ष बाद दाखिल खारिज अपील प्रारंभ किया गया है जिसके साथ मूल अभिप्रमाणित प्रति आदेश का संलग्न नहीं है और न ही विलम्ब अवधि क्षान्त करने का अनुरोध पत्र है और न ही विलम्ब अवधि क्षान्त करने का कोई उल्लेख ही अभिलेख में है। दाखिल खारिज वाद संख्या–53/03 वर्ष 2004–05 अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दिनांक–19.07.2005 को खारिज हो जाने के पश्चात् षडयंत्र रचकर जाली कागज बनाकर 10 वर्षो के बाद अंचल अधिकारी के विविध वाद संख्या–18/1991–92 बताते हुए उसका अभिप्रमाणित प्रति का फोटो प्रति जो दिनांक–04.06.1992 का प्राप्त किया गया अभिप्रमाणित प्रति का फोटो कहा गया है जो बिल्कुल ही जाली एवं फरेबी है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर ने न तो अंचल पदाधिकारी विविध वाद संख्या–18/1991–92 के निम्न न्यायालीय मूल अभिलेख की मांग की और न ही उसमें पारित आदेश का सच्ची प्रतिलिपि की मांग की। केवल आदेश की छाया–प्रति (काल्पनिक) पर हीं अपील विचारण के लिए स्वीकृत किया और प्रतिवादी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया जो गलत एवं नियमों के प्रतिकूल है।

वाद सं0–53/03 वर्ष 2004–05 में पारित अंचलाधिकारी, पटना सदर के आदेश के लगभग 10 वर्षो के बाद एक लालबाबु सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने को खतियानी रैयत के वंशज बताते हुए एक आवेदन पत्र माननीय राजस्व मंत्री, बिहार, पटना के समक्ष एक आवेदन पत्र दिया जो अपर समाहर्त्ता, पटना को सम्बोधित उनके गै0स0प्रे0सं0–257 (आ0) दिनांक 09.07.2015 द्वारा प्रेषित है। जिसे भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पटना सदर ने दाखिल खारिज अपील वाद संख्या– 02/2015–16 अंकित कर प्रारंभ किया जिसमें 11 प्लौट के बदले केवल दो ही प्लौट थे जिसका प्लौट संख्या–219 एवं 235 है। आवेदक लाल बाबू सिंह ने आवेदन पत्र में तीन प्लौट यथा 1214, 235 एवं 219 का दाखिल खारिज एवं रसीद के लिए अनुरोध किया था, लेकिन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पटना सदर ने प्लौट

संख्या–1214 को सुनवाई के लिए ग्रहित नहीं किया। रिविजनकर्त्ता के प्लौट संख्या–235 में नौ व्यक्तियों के नाम चल रहे जमाबंदी पर भी कोई विचार नहीं किया और आवेदक लाल बाबू सिंह के पक्ष में आदेश दिनांक 23.12.2016 को पारित कर दिया जो बिल्कुल ही अवैध, तथ्यों के विरूद्ध तथा गैर कानूनी है।

लालबाबु सिंह ने तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता श्री मिथिलेश कुमार को मेल में लाकर एक बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 के अन्तर्गत बिहार भूमि विवाद वाद संख्या– 40/2017–18 दायर किया, जिसके अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पटना सदर ने मेल में आकर अपने आदेश दिनांक 14.09.2018 में स्वत्व का निर्धारण कर दिया। इसी आधार पर लाल बाबू सिंह ने नापी हेतु एक आवेदन दिया कि जमीन की नापी कर दिया जाये और उसमें दिनांक 18.04.2019 को आदेश पारित हुआ कि विषयगत मामला अपर समाहर्त्ता, पटना के न्यायालय में विचारणीय है। परिणाम स्वरूप उभय पक्ष अपना पक्ष साक्ष्य के साथ प्रमुखता से उनके समक्ष प्रस्तुत करें और भूमि विवाद वाद संख्या–40/2017–18 को समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति मे अब बिहार भूमि विवाद वाद संख्या–40/2017–18 में पारित आदेश निष्प्रभावी है।

आवेदक पारित आदेशों के विरूद्ध भूमि विवाद अपील संख्या–73/2017, आयुक्त महोदय, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष दायर किया जिसमें यह निदेश हुआ कि यह विषय जमाबंदी से संबंधित है, जिसका निराकरण बिहार म्यूटेशन एक्ट के तहत् अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में दायर करने पर होगा और प्रथम पक्ष ने अपर समाहर्त्ता महोदय के समक्ष पुनरीक्षण वाद संख्या–2/2019–20 दायर किया गया।

आवेदकगण के दावे से संबंधित दस्तावेज, राजस्व लगान रसीद एवं खतियानी रैयतों के वंशजों द्वारा बिक्री वसीकाओं की छाया–प्रति तथा पुनरीक्षणकर्ता के खानगी बंटवारा की छाया–प्रति अभिलेखबद्ध है। कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट तौर पर आवेदकगण के दावे की सम्पुष्टि होती है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख एवं कागजातों के परिक्षण के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि निम्न न्यायालय यथा भूमि सुधार उप समहार्ता, पटना सदर का दाखिल खारिज अपील वाद सं0–2/2015–16 में दिनांक–23.12.2016 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। जिसमें प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित होता है।

यह कि जब खतियानी रैयत के वंशज ने हिस्से के अनुरूप निबंधित बिक्रय वसीका से भूमि बिक्रय कर दिया और आवेदकगण के पूर्वज ने निबंधित वसीका से खतियानी रैयत से और खतियानी रैयत द्वारा बिक्री से हासिल व्यक्ति ने निबंधित वसीका से बिक्री कर दिया और क्रय के पश्चात आवेदकगण के पूर्वज द्वारा नियमानुकूल जमाबंदी कायम कराते हुए, शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में है; सरकार को राजस्व लगान देते रहे और राजस्व रसीद कटाते रहे; आवेदक के पूर्वजों के मृत्योपरान्त आपसी खानगी बंटवारा कर

अपने–अपने हिस्से अनुकूल दखल–कब्जा में रहे एवं कुछ हिस्सेदार ने निबंधित बिक्री से हिस्सेनुकूल बिक्री कर दिया जिस पर क्रेतालोग मकान बनाकर परिवार सहित बास भी कर रहे हैं; सम्पूर्ण सम्पत्ति पर खतियानी रैयत के वंशज के नाम चल रहे जमाबंदी को दाखिल खारिज करा लिया, तो वैसी स्थिति में निबंधित बिक्री वसीका सक्षम न्यायालय से जब तक निरस्त नहीं हो जाता है, तब तक खतियानी रैयत के वंशजों को न तो स्वत्व और ना ही वैध दखल–कब्जा ही होगा। आवेदकगण का विवादित भूखण्ड पर अभी तक शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है और सरकार का राजस्व रसीद वर्ष 2016–17 तक कटा है।

आवेदकगण राजेश्वरी देवी वगैरह के आवेदन एवं लिखित बहस को स्वीकृत किया जाता है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 02/2015–16 में पारित आदेश दिनांक–23.12.2016 को निरस्त किया जाता है और आवेदकगण राजेश्वरी देवी वगैरह का खाता सं0 306, खेसरा सं0 235 का पूर्व से कायम जमाबंदी को बहाल किया जाता है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर एवं अंचल अधिकारी, पटना सदर को प्रेषित कर दें। अंचल अधिकारी, पटना सदर राजस्व हित में आवेदकगण राजेश्वरी देवी वगैरह के जमाबंदी पर लगान रसीद निर्गत करें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश से विक्षुब्ध पक्षकार सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। आदेश के प्रति के साथ निम्न न्यायालय के अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

15/2/2020

(राजीव कुमार श्रीवास्तव)
अपर समाहर्ता, पटना।

15/2/2020

(राजीव कुमार श्रीवास्तव)
अपर समाहर्ता, पटना।